न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 20/2021 बउनवानी नारायण कोली बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर
पुत्र श्री गोकुल कोली निवासी ग्राम करेल, पोस्ट मलारना डूँगर

GCMS No-2021/49

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.01.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. खसरा नम्बर 805 ग्राम करेल पो. मलारना चौड तहसील मलारना· डूँगर में केलाश चन्द मीना पुत्र रामफूल के पुराने मकान से मेन रोड़ के उत्तर की ओर अडगेला तक सिवायचक भूमि कितने बीघा है उसकी सूचना तथा इस सिवायचक भूमि पर क्रमश किन–किन व्यक्तियों का कब्जा है उनका नाम पिता का नाम जाति निवास स्थान सहित पूरे पते की सूचना।
2. ख0न0 805 ग्राम करेल तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर ग्राम करेल मे केलाश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना के पुराने मकान से मैन रोड़ उत्तर की ओर(अडगेला) तक सिवायचक भूमि पर क्रमश किन–किन व्यक्तियों का कितने कितने समय से कब्जा है उनका नाम पिता का नाम जाति ओर क्रमश कितनी भूमि पर कब्जा है। नाप सहित स्थान तथा चिहिन्त जगह सहित की प्रमाणित सूचना ।
3. ख0न0 805 मे ग्राम करेल मे सिवायचक भूमि से सभी अतिक्रमियों के कब्जे कब तक हटा देगें जिसकी प्रमाणिक सूचना तथा कितनी भूमि है उसके नक्शा ट्रेस सहित दस्तावेजो की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ./2020/1657 दिनांक 24.3.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.01.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील मलारना डूँगर से होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 55 दिनांक 12.1.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय को अन्तरित किया गया जिसपर तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक 46 दिनांक 21.1.2021 से प्रार्थी को अवगत कराया कि प्रार्थना मे चाही गयी प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.01.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना [illegible] कार्यालय से है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है। किन्तु तहसीलदार मलारना डूँगर को उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट को वाके ग्राम करेल [illegible] 805 का नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं पी–14 की नकल उपलब्ध [illegible] तहसीलदार मलारना [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 805 के संबंध में उक्तानुसा[illegible] सूचना अपीलान्ट को 7 [illegible] उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निदेश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:24:03 IST
Reason: SelfAttested